सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण/ SEEPZ SPECIAL AUTHORITY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेलि/Tel: 022-28294770 **फैक्स**/Fax: 28291754,
ई-मेल/E-mail : ddcseepz-mah@nic.in, **वेबसाइट**/Web-site : www.seepz.gov.org

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/टीआइए/199/2017-18/ 19763 दिनांकः 02.8.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

विषयः- सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सीएजी नामिकागत सनदी लेखाकार फर्म की नियुक्ति ।

सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण जोकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय है, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए नीचे दिए गए कार्य - क्षेत्र के अनुसार नामिकागत सनदी लेखाकार फर्मों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता हैः-

1. **ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें:-**

1.1	पूर्व बोली सम्मेलन	संपद प्रबंधक कार्यालय, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 09.8.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे
1.2	तकनीकी बोली	निविदाकार परिशिष्ट - क के अनुसार दस्तावेज़ों स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें ।
1.3	प्रति वर्ष सेवा प्रदान करने के लिए अनुमानित लागत	10.00 लाख रू.
1.4	निविदा दस्तावेज़ों की बिक्री की अवधि	दिनांक 01.8.2018 से दिनांक 23.8.2018 तक मध्याह्न 12.00 बजे तथा निविदा दस्तावेज़ www.seepz.gov.in तथा www.eprocure.gov.in वेबसाइटों से डाउनलोड किए जा सकते हैं ।
1.5	निविदा दस्तावेज़ों की लागत	निःशुल्क
1.6	बोली प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख	दिनांक 23.8.2018 को अपराह्न 14.00 बजे
1.7	निविदा दस्तावेज़ों के खोले जाने की तारीख तथा समय	संपदा प्रबंधक कार्यालय, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण में दिनांक 23.8.2018 को अपराह्न 15.30 बजे
1.8	प्रतिभूति जमा / निष्पादन गारंटी जमा (पीजीडी)	संविदा मूल्य का 10%
1.9	बयाना जमा राशि / बोली प्रतिभूति	25,000/- रू.

(I) कार्य का क्षेत्रः-

1. आय विवरण, वार्षिक बजट, किराया, गेट पास, जुर्माना तथा अर्थदंड, रद्दी, अतिथिगृह, सम्मेलन हॉल, विविध आदि सहित बहीखाता (बुक किपिंग) का सत्यापन ।
2. पूर्व तथा पश्च व्यय का सत्यापन ।
3. परियोजनाओं तथा अनुरक्षण कार्यों पर हुआ व्यय ।
4. व्यवस्थागत कमियों का पता लगाना तथा सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना ।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा जाने वाला अन्य कोई कार्य ।
6. कार्य - क्षेत्र के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक समझा जाए, तो वह श्री महेश यादव, संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है ।
7. विभागीय स्वीकृतियां / पूर्व लेखा परीक्षा के लिए प्रक्रियागत स्वीकृति ।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा से संबंधित सौंपा जाने वाला अन्य कोई कार्य ।

(II) कोटेशन प्रस्तुत करने की क्रियाविधि के संबध में:-

1. कोटेशन दो बोली प्रणाली में निम्नानुसार दो अलग - अलग लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएं:-

   लिफाफा 1 जिसके ऊपर **"तकनीकी कोटेशन"** लिखा गया हो, में **परिशिष्ट - क** में यथाउल्लिखित तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज रखे जाएं ।

   लिफाफा 2 जिसके ऊपर **"वित्तीय बोली"** लिखा गया हो, में **परिशिष्ट - ख** में यथाउल्लिखित मूल्य रखा जाएं ।

2. ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिस पर लिखा हों, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सीएजी नामिकागत सनदी लेखाकार फर्म की नियुक्ति । यह लिफाफा प्रबंधक (संपदा), सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 को संबोधित किया जाए ।

3. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 23.8.2018 को 14.00 बजे तक डाक / कुरियर द्वारा अथवा स्वयं आवेदक द्वारा अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया जाएगा अथवा यह भूमितल पर स्थित आवक अनुभाग के निकट रखे लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है ।

4. कोटेशन जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं ।

5. कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा सील लगाई जाए तथा जो मुद्रित फॉर्म में पूर्ण हों ।

6. कोटेशन का प्रत्येक पृष्ठ जिसमें समर्थक दस्तावेज आदि भी शामिल हैं, बाएं हाथ के कोने के सबसे नीचे विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए ।

7. कोटेशन के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक सुधार / विलोप / परिवर्धन / लिप्त लेखन पर आवेदक द्‌वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

8. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9. कोटेशन पर फर्म के प्राधिकृत पार्टनर द्‌वारा अवश्य हस्ताक्षर किया जाए ।

10. आवेदक शब्दों में तथा अंकों में उल्लिखित दरों का उल्लेख करेंगे । यदि शब्दों में दरें, अंकों में उल्लिखित दरों से भिन्न होंगी, तो इनमें से जो भी दर कम होगी, वही सही दर माना जाएगा ।

11. कोटेशन के साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में **25,000/- रू. (पच्चीस हजार रू. मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि **"सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि"** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित हो तथा **मुंबई में देय हो,** देना होगा । **<u>नकद भुगतान, चेक तथा भुगतान का अन्य कोई तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा ।</u>**

12. कोटेशन खोले जाने के समय आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ।

13. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समिति यदि चाहे, तो बोलीदाता की पात्रता निर्धारण के मामले में बिना कोई कारण बताए इसकी शर्त अथवा शर्तें शिथिल कर सकती है, संशोधित कर सकती है । कोटेशन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किसी प्रकार की पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी ।

14. चयन के पूर्व फर्म की तकनीकी सक्षमता / अवसंरचनात्मक सुविधाएं अभिनिश्चित की जाएंगी ।

15. ईएमडी तथा उपर्युक्त आवश्यक दस्तावजों के बिना प्रस्तुत किए जाने वाले कोटेशन संक्षेपतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे ।

16. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी अवस्था में कोई अथवा सभी कोटेशन को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण का निर्णय आवेदकों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

17. कोटेशन वापस लिए जाने की स्थिति में ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा ।

(III) <u>कोटेशनों का खोला जानाः-</u>

1. लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो, **<u>"तकनीकी कोटेशन"</u>** **<u>दिनांक 23.8.2018 को अपराह्न 15.30 बजे,</u>** विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़ के सम्मेलन हॉल में उपस्थित आवेदक अथवा उनके प्रतिनिधियों जिन्हें प्राधिकृत किया जाए, के समक्ष खोला जाएगा ।

2. लिफाफा 2 जिसके ऊपर लिखा गया हो "**<u>वित्तीय कोटेशन</u>**" केवल पात्र आवेदकों के ही खोले जाएंगे ।

3. लिफाफा 2 जिसके ऊपर लिखा गया हो **<u>"वित्तीय कोटेशन"</u>** के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो **<u>"तकनीकी कोटेशन"</u>** के खोने जाने के समय सफल आवेदकों को दी जाएगी ।

4. समिति द्वारा "तकनीकी पात्रता" के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी कोटेशनों का मूल्यांकन किया जाएगा, दस्तावेजों की संवीक्षा किए जाने के पश्चात समिति पात्र बोलीदाता का चयन करेगी ।

(IV) <u>तकनीकी कोटेशन के आधार पर प्रस्तुत किया जानेवाला पूर्व अर्हता का मानदंडः</u>

फर्मो द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो "तकनीकी कोटेशन" में निम्नलिखित दस्तावेज रखे जाएं जिससे उनकी तकनीकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके तथा मानदंडों का पूरा किए जाने की भी पुष्टि हो, ऐसा न किए जाने पर उन्हें सरसरी तौर पर अयोग्य माना जाएगा ।

1. **"सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि" के पक्ष में मुंबई में देय** किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में **25,000/- रू. (पच्चीस हजार रूपए मात्र)** की बयाना जमा राशि (ईएमडी) ।

2. आवेदक अवश्य सनदी लेखाकार फर्म हो (पार्टनरशिप) जिसके दिनांक 31.7.2018 की स्थिति के अनुसार कम से कम **2 सनदी लेखाकार** कर्मचारी हों ।

3. फर्म को इस क्षेत्र का 10 वर्षों से कम अनुभव न हो ।

4. सनदी लेखाकार संस्थान के अभिलेख के अनुसार फर्म का मुंबई अथवा इसके उपनगरीय जिले में कार्यालय अवश्य हो ।

5. नियंत्रक और महालेखाकारपरीक्षक के साथ फर्म अवश्य नामिकागत हो ।

6. फर्म का वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में औसत टर्नओवर 50.00 लाख रू. से कम न हो ।

7. आवेदक फर्म को केंद्र सरकार / राज्य सरकार / राज्य सरकार उपक्रमों में बहीखाता लिखने तथा लेखाकरण की पर्याप्त जानकारी तथा अनुभव हो । फर्म को पिछले 10 वर्षों के दौरान कम से कम 03 वर्षों का केंद्रीय सरकार/महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकाय आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य का अनुभव हो । कार्यादेशों की प्रतिलिपियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जाएं ।

8. फर्म के पैन, जीएसटी तथा पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियों की प्रतिलिपियां संलग्न की जाएं ।

9. प्राधिकरण के कार्यालय-समय के दौरान दैनिक पूर्णकालिक समय के लिए एक सनदी लेखाकार कर्मचारियों तथा 2 अर्ध योग्यता वाले सहायकों (आर्टिकल/ऑडिट सहायक को छोड़कर) का उक्त कार्यों के लिए परिनियोजित किया जाना आवश्यक है । कार्य प्रारंभ किए जाने के पूर्व प्राधिकरण को लिखित रूप में परिनियोजित किए जाने वाले कार्मिकों के नाम तथा उनकी योग्यताओं की सूचना दी जानी आवश्यक है तथा प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । इनके कार्यों की निगरानी दैनिक आधार पर फर्म के वरिष्ठ भागीदार/स्वामी द्वारा की जाएगी । जब कभी विभिन्न बैठकें बुलाई जाएंगी उनमें भागीदार/स्वामी का भाग लेना आवश्यक होगा ।

10. कोटेशन के साथ फर्म द्वारा इस आशय का विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति-पत्र संलग्न किया जाए जिसमें कोटेशन के निबंधन तथा शर्तों के समझे जाने तथा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई हो ।

11. इस आशय का वचनबंध की बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप - ठेके पर देगा । वह आगे इसके लिए वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा ।

12. इस आशय का वचन-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा आपके फर्म को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ।

(V) <u>अन्य निबंधन तथा शर्तें:-</u>

1. सफल आवेदक को कार्य - क्षेत्र में उल्लिखित सेवाएं प्रदान करनी होंगी, ऐसा न किए जाने पर इस ठेके / कार्य आदेश का भंग किया जाना समझा जाएगा तथा ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को यह अधिकार होगी कि वह ठेका / कार्य आदेश बिना कोई कारण बताए रद्द कर दे / समाप्त कर दे तथा बयाना जमा राशि / निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

2. सफल आवेदक को आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध करानी होगी तथा उनका पूरा विवरण जिसमें उनके नाम तथा पते दिए गए हों, संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा ।

3. तैनात किए जाने वाले कार्मिकों / कर्मचारियों के पास आवश्यक अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए ।

4. इस प्रकार तैनात किए जाने वाले कार्मिकों / कर्मचारियों को सभी नियमों तथा विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर दिए जाने दिशा - निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा उन्हें कार्यालय समय के दौरान अनुशासन भी बनाए रखना होगा ।

5. सफल बोलीदाताओं को सभी सांविधिक उपबंधों का अनुपालन करना होगा ।

6. सफल आवेदक इस प्रयोजन के लिए तैनात किए जाने वाले कार्मिकों / कर्मचारियों को सभी प्रकार के भुगतान / देयों के लिए जिम्मेदार होगा । सफल आवेदक इस संबंध में अपने कार्मिकों / कर्मचारियों के किसी भी दावे की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्राधिकरण के प्रति जिम्मेदार होगा ।

7. प्राधिकरण को सफल आवेदक अथवा उसके कार्मिकों / कर्मचारियों की ओर से किसी तकनीकी तथा / अथवा प्रक्रियात्मक चूकों के कारण होने वाली वित्तीय हानि अथवा क्षति की पूर्ति सफल आवेदक को करनी होगी ।

8. सफल आवेदक द्वारा तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों के छुट्टी अथवा अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर उपर्युक्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ।

9. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निबंधन तथा शर्तों अथवा दिए गए अनुदेशों / दिशा - निर्देशों के उल्लंघन किए जाने अथवा भंग किए जाने अथवा सफल आवेदन द्वारा अपने कार्मिकों / कर्मचारियों के संबंध में तथ्य छिपाए जाने के कारण कार्य आदेश / ठेका बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है / समाप्त किया जा सकता है ।

10. सफल आवेदक को बिल प्रस्तुत किए जाने तथा प्राधिकरण को संतोषजनक सेवा प्रदान किए जाने के आधार पर मासिक / तिमाही के आधार पर भुगतान किया जाएगा ।

11. कार्य - क्षेत्र के अनुसार अनुपालन / सेवाओं के निष्पादन में किसी प्रकार का विलंब होने की स्थिति में सफल आवेदक पर प्रतिदिन के हिसाब से ऐसे विलंब के लिए 1,000/- (एक हजार रूपए) का जुर्माना लगाया जाएगा जोकि अधिकतम बोली राशि का 20% होगा ।

12. सफल आवेदक को कार्यादेश प्राप्त करने की तारीख से तीन दिनों के अंदर अपनी स्वीकृति देनी होगी, ऐसा न करने पर जारी कार्यादेश को रद्द समझा जाएगा ।

13. कोटेशन अहस्तांतरणीय हो । सफल आवेदक किसी भी मामले में किसी उप-संविदाकार अथवा किसी अन्य संगठन को इस कार्य में नहीं लगाएगा तथा उसे अपने अधिकारों एवं दायित्वों को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति नहीं होगी ।

14. सफल आवेदक की बयाना जमा राशि निष्पादन प्रतिभूति राशि जोकि संविदा मूल्य का 10% है, के प्राप्त किए जाने के पश्चात लौटा दी जाएगी । संविदा / कार्यादेश के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जाएगी । इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । असफल बोलीदाताओं को बयाना जमा राशि लौटा दी जाएगी ।

15. चयनित फर्म को प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसकी अवधि प्रतिवर्ष संतोषजनक निष्पादन के अधीन प्राधिकरण के एकमात्र विवेक से प्रति वर्ष 10% की वृद्धि के साथ तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है ।

16. यदि सफल आवेदक की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो प्राधिकरण के पास ठेका अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश को समाप्त करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।

17. कार्य आदेश / संविदा के समाप्त किए जाने / रद्द किए जाने की स्थिति में बोलीदाता मुआवजे क्षति अथवा अन्यथा के रूप में प्राधिकरण से किसी भी राशि / राशियों को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

18. ठेका / कार्य आदेश की अवधि के दौरान यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियां सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका निपटारा करने का प्रयास करेंगी । यदि ऐसे विवाद / मतभेद, अपालन अथवा गैर अदायगी जैसे मामले उचित समय - सीमा के अंदर आपस में मिल जुलकर नहीं निपटाए जा सकें, तो ऐसी स्थिति में इन्हें माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विद्‌यमान किसी अन्य विधि के अधीन माध्यस्थम के लिए विचारार्थ भेजा जाएगा । ऐसा मामला माध्यस्थम् के लिए एकल मध्यस्थ को विचारार्थ भेजा जाएगा तथा एकल मध्यस्थ की नियुक्ति सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण द्‌वारा की जाएगी तथा यह मध्यस्थता मुंबई शहर में सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण द्‌वारा निश्चित स्थान पर होगी । एकल मध्यस्थ का निर्णय सभी पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा ।

(महेश यादव)
संपदा प्रबंधक
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण

तकनीकी बोली फॉर्मेट

1. फर्म का नामः-
2. पता पिन कोड के साथः-
3. संपर्क नं. अर्थात दूरभाष, लैंडलाइनः-
4. ई-मेलः-
5. 25,000/- रू. की बयाना जमा राशिः-
6. फर्म के पैन तथा जीएसटी पंजीकरण की प्रतिलिपियां:-
7. नियंत्रक और महालेखाकारपरीक्षक (सीएजी) के साथ नामिकायन की प्रतिलिपिः-
8. आइसीएआइ के साथ पंजीकरण की प्रतिलिपिः-
9. पिछले 3 वर्षों के दौरान आयकर भुगतान की प्रतिलिपिः-
10. न्यूनतम 10 वर्षों का समग्र अनुभव (प्रमाण संलग्न करें):-
11. आवेदक अवश्य सनदी लेखाकार फर्म हो (पार्टनरशिप) जिसके दिनांक 31.7.2018 की स्थिति के अनुसार कम से कम **2 सनदी लेखाकार** कर्मचारी हों ।
12. फर्म का वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान औसत टर्नओवर 50.00 लाख रू. से कम न हो (प्रमाण संलग्न करें) ।
13. आवेदक फर्म को केंद्र सरकार / राज्य सरकार / राज्य सरकार उपक्रमों में बहीखाता लिखने तथा लेखाकरण की पर्याप्त जानकारी तथा अनुभव हो । फर्म को पिछले 10 वर्षों के दौरान कम से कम 03 वर्षों का केंद्रीय सरकार/महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकाय आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य का अनुभव हो (प्रमाण संलग्न करें) ।
14. मुंबई में कार्यालय अवश्य हो । इस संबंध में तकनीकी बोली के साथ टेलीफोन बिल, बिजली बिल, करार, आदि की प्रतिलिपियां अवश्य प्रस्तुत की जाए ।
15. 100/- रू. के नन ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथपत्र की "फर्म / कंपनी को केंद्र / राज्य सरकार / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी कार्यालय द्वारा न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है ।
16. इस आशय का वचनबंध की बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप - ठेका पर देगा । वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा ।
17. निबंधन एवं शर्तों को अच्छी तरह समझने तथा उनको स्वीकार किए जाने की पुष्टि में बोलीदाता / फर्म द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निबंधन एवं शर्तों के स्वीकार किए जाने से संबंधित स्वघोषणा संलग्न की जाए ।

(टिप्पणी - संबंधित पात्रता मानदंड के साथ क्रम से पृष्ठांकित सभी समर्थक दस्तावेज़ों की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं ।)

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हम लोग उपर्युक्त कार्य करने के लिए पात्र हैं तथा हमने निविदा में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरः-

नामः-

पदनामः-

फर्म का नाम तथा पताः-

परिशिष्ट - ख

वित्तीय बोली फॉर्मेट

कोटि	**1 महीने के लिए शुल्क (भारतीय रूपयों में)**	**12 महीनों के लिए शुल्क (भारतीय रूपयों में)**
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आंतरिक परीक्षा वृत्तिक शुल्क		
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आंतरिक परीक्षा वृत्तिक शुल्क		
कुल रूपए (अंकों तथा शब्दों में)		

* कोट किए गए कुल शुल्कों में वृत्तिक शुल्क तथा फुटकर खर्च भी शामिल होगा । प्राधिकरण वित्तीय प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट शुल्कों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं करेगा । प्राधिकरण द्वारा समय लंघन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

* सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण को जीएसटी भुगतान से छूट प्राप्त है, अतः जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरः-
नामः-
पदनामः-
फर्म का नाम तथा पताः-

भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/TIA/199/2017-18/ 13763 Date: 02.08.2018

NOTICE INVITING TENDER

Sub: Appointment of CAG Empanelled Chartered Accountant Firm for Internal Audit of SEEPZ-SEZ Authority for F.Y. 2017-18 & 2018-19.

The SEEPZ-SEZ Authority, an autonomous body under Ministry of Commerce and Industry, Government of India invites sealed quotations from Empanelled Chartered Accountant for Internal Audit in SEEPZ-SEZ Authority for F.Y. 2017-18 & 2018-19, as per following Scope of Work.

1. IMPORTANT POINTS TO NOTE:

1.1	Pre-bid conference	09/08/2018 at 11.30 AM at the Office of the Estate Manager, SEEPZ SEZ Authority
1.2	Technical Bid	The tenderer should attach the copy of the self attested documents as per **Annexure-A**
1.3	Estimated cost involved for providing service per year	Rs. 10.00 lakh
1.4	Period of sale of tender document	01/08/2018 to 23/08/2018 up to 12:00 hrs. and the tender documents may be downloaded from www.seepz.gov.in and www.eprocure.gov.in
1.5	Cost of tender documents	Free of Cost
1.6	Last Date of submission of bid	23/08/2018 at 14.00 hrs.
1.7	Date & Time of opening of tender document	23/08/2018 at 15.30 Hrs at the Estate Manager Office, SEEPZ-SEZ Authority.
1.8	Security Deposit/ Performance Guaranty Deposit (PGD)	10% of the Contract value.
1.9	EMD / Bid Security	Rs. 25,000/-

(I) SCOPE OF WORK:

1. Verification of Book Keeping including statement of Income, Annual Budget, Rent, Gate Pass, Fine & Penalty, Scrap, Guest House, Conference Hall and miscellaneous etc.
2. Verification of pre & post Expenditure
3. Expenditure on the projects as well as maintenance work
4. Find out systematic weakness and suggest corrective measures.
5. Any other work assigned by Competent Authority.
6. Any clarification of Scope of Work can be taken from Shri Mahesh Yadav, Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority.
7. Preparation of standard list of departmental clearance, procedural clearance for pre-audit.
8. Any other work related to Audit assigned by the Competent Authority.

(II) PROCEDURE FOR SUBMISSION OF QUOTATION:

1. The Quotations should be submitted in two bid systems in two separate envelopes as under:
   Envelope 1 superscribed **"Technical Quotation"** should contain the documents required for Technical Eligibility, as stated in **Annexure - A.**

   Envelope 2 superscribed **"Financial Quotation"** should contain the value as stated in **Annexure - B.**

2. Both sealed envelopes should be submitted together in larger cover superscribed as **"QUOTATION FOR INTERNAL AUDIT IN SEEPZ-SEZ AUTHORITY FOR F.Y. 2017-18 & 2018-19"** on the top and address to **"The Manager (Estate), SEEPZ-SEZ Authority, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai- 400096.**

3. The sealed envelope mentioned above will be received by this office up to ***14.00 hrs. on 23.08.2018***, by post / courier by the applicant personally or through his authorized representatives or the same can be dropped in the Tender box kept on the ground floor, near Inward Section especially for Quotations.

4. Quotations received late, unsealed and without superscription are liable to be rejected.

5. The quotations shall be duly signed with seal and complete in the printed form.

6. Every page of the Quotation, including the supporting documents etc. shall be duly signed in the bottom at left hand corner.

7. Every correction / deletion / addition / overwriting in respect of the quotation shall be signed by Applicant.

8. Incomplete, ambiguous and conditional quotations will not be entertained.

9. The quotation must be signed by the authorized partner of the firm.

10. The Applicant should quote the rates in words and in figures; if the rates quoted in words differ from the rate quoted in figures, the lowest of the two will be taken as correct rate.

11. The quotation should be accompanied by Earnest Money Deposit (EMD) for Rs. **25,000/- (Rupees Twenty-five Thousand only)** in the form of Demand Draft / pay order, drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of **"SEEPZ Special Economic Zone Authority Fund"** payable at **Mumbai.** **Cash payment, cheque and other mode of payment shall not be accepted.**

12. The Applicant may represent themselves personally or through authorized representative, if any, at the time of opening of quotation.

13. The committee may, if so desire relax / amend one or other condition to determine eligibility of the quotation with approval of the Competent Authority without assigning any reason, thereof. Any enquiry, after submission of the quotation, shall not be entertained.

14. The technical competence / infrastructure facilities of the firm will be ascertained before selection.

15. *The quotations not accompanied by EMD and the required documents mentioned above will be summarily rejected.*

16. The SEEPZ-SEZ Authority reserves the right to reject any or all quotations at any time / stage, without assigning any reasons whatsoever and the decision of the SEEPZ-SEZ Authority shall be final and binding on all the applicants.

17. ***In case of the withdrawal of the quotation, the EMD will be forfeited.***

(III) OPENING OF QUOTATION:

1. The ENVELOPE 1 superscribed "**Technical Quotation**" will be opened ***at 15.30 hrs. on 23.08.2018***, in the Conference Hall of Development Commissioner's Office, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai-96 in presence of applicant and or their representative(s) who authorized".

2. ENVELOPE 2 superscribed "**Financial Quotation**" will be opened only for eligible applicants.

3. The date and time for opening the ENVELOPE 2 superscribed ***'Financial Quotation'*** will be intimated to the successful applicant at the time of opening the ENVELOPE 1 superscribed **'Technical Quotation'**.

4. All quotation would be evaluated by the Committee, on the basis of documents provided for technical eligibility. After scrutinizing the documents, the Committee shall select the eligible bidders.

(IV) CRITERIA FOR PRE-QUALIFICATION ON THE BASIS OF THE TECHNICAL QUOTATION:

ENVELOPE 1 superscribed 'Technical Quotation' submitted by the firms should contain the following documents to determine the technical eligibility and must satisfy the criteria, failing which they will be summarily disqualified.

1. Earnest Money Deposit (EMD) for ***Rs. 25,000/- (Rupees Twenty-five thousand Only)*** in the form of demand Draft / pay order drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of **"SEEPZ Special Economic Zone Authority Fund"** payable at **Mumbai.**

2. The applicant must be a Chartered Accountant Firm (partnership) having min. ***2 Chartered Accountant*** *employees* as on 31.07.2018.

3. The firm should be in practice not less than 10 years.

4. The firm must have office in Mumbai or sub-urban district as per CA Institute record.

5. The firm must have been empanelled with C&AG of India.

6. Average turnover of the firm is ***not less than Rs. 50.00 lakhs for financial years 2015-16, 2016-17 & 2017-18.***

7. The applicant firm must have sound knowledge and experience of Internal Audit in Central Government / State Government / State Government undertaking. The firm must have minimum 3 years' experience during last 10 years of Internal Audit in Central Government / Central Government Autonomous Body / Government of Maharashtra / Government of Maharashtra Autonomous Body. Copy of work orders should be submitted along with technical bid.

8. Copy of PAN, GST, Income Tax Returns of the firm for last three years should be enclosed.

9. **One Chartered Accountant and two Semi Qualified Assistants (other than Article / Audit assistants), needs to be deployed for the assignment on full time daily basis during office hours of Authority.** Name and qualification of the personnel deployed needs to be informed to the Authority in beginning of the assignment and they shall not be changed without the prior permission of the Authority. The work shall be supervised by the senior partner of the firm on day to day basis. Partner needs to attend various meetings as and when called for.

10. A copy of the acceptance of terms and conditions duly signed by the firm in token of having understood and agreed to the same should be attached along with the quotation.

11. An undertaking stating that the bidder shall not assign, transfer, pledge or sub contract the performance of services or part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the Tender documents.

12. An undertaking stating that he has not been blacklisted nor come any adverse notice by any office of Government / semi-Government / Public Sector undertaking.

(V) OTHER TERMS AND CONDITIONS:

1. The successful applicant shall render the services as mentioned in the scope of work, failing which the same will be treated as breach of contract / work order and in that case the Authority will have the right to cancel / terminate the contract / work order, without assigning any reason and EMD/Performance Security amount will be forfeited. No representation will be entertained in this regard.

2. The successful applicant shall provide the required manpower and its full particulars including the names and address to the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority.

3. The personnel / employees deployed shall have the required qualification and experience.

4. The personnel / employees so deployed shall comply with all the rules and regulations and the guidelines provided by the Authority from time to time and further ensure to maintain the discipline during working hours.

5. The successful bidders should comply with all the statutory compliances.

6. The successful applicant shall be solely liable for all the payments / dues of the personnel / employees so deployed by him. The successful applicant shall at all time keep the authority indemnified against any claim from its personnel / employees in this regard.

7. Any financial loss or any damage sustained to the Authority due to any technical and / or procedural lapses on the part of successful applicant or his personnel / employees, the same shall be recovered by the Authority from the successful applicant.

8. In the event of person deputed by successful applicant being on leave / absent shall ensure suitable alternative arrangement to make up for such absence.

9. Any violation or breach of terms and conditions or instruction / guidelines provided by the Authority or suppression of facts on the part of successful applicant or his personal / employees will attract cancellation / termination of the work order / contract without any reason and notice period.

10. Payment to the successful applicant shall be made on monthly basis on submission of bill and on rendering satisfactory service to the Authority.

11. In case of any delay caused in compliance / performance of the services according to the scope of work, penalty of ***Rs. 1,000/- (One Thousand)*** for such delay will be imposed to successful applicant on daily basis, maximum to 20% of the bid amount.

12. The successful applicant shall give the acceptance within ***three days*** from the date of receipt of the work order, failing which the work order issued will be treated as cancelled.

13. The quotation is not transferable. The successful applicant shall not engage to any sub-contractor or any other organization in any matter and also not permitted to transfer his rights and obligations.

14. EMD of the successful applicant will be refunded after receipt of Performance Security @ 10% of the contract value. This will be forfeited for non compliance of the terms & conditions of the contract / work order. This amount will not bear any interest. The EMD of unsuccessful bidders will be refunded.

15. The selected firm would be initially appointed by the authority for one year and may be extended up to three years with increase of 10% in fees every year subject to satisfactory performance and at the sole discretion of the authority.

16. If the services of the successful applicant are not found to be satisfactory, the Authority reserves the right to terminate or cancel the work order at any time during the currency of the contract period without assigning any reasons.

17. On termination or cancellation of work order / contract, the successful applicant shall not be entitled for any sum or sums, whatsoever, from the Authority by way of compensation, damages or otherwise.

18. In case of any dispute arising during currency of the contract / work order, the parties shall try to amicably settle and resolve the same. In the event, where such dispute, differences, non-compliance or non-payment cannot be mutually resolved within a reasonable time, the same shall be referred to Arbitration under the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any other law prevailing for the time being in force. Such matter shall be referred to Arbitration by a sole arbitrator and the sole arbitrator shall be appointed by the SEEPZ SEZ Authority and shall be held in the city of Mumbai at the place and venue as decided by SEEPZ-SEZ Authority in English language. The decision of the sole Arbitrator shall be binding on the parties.

(Mahesh Yadav)
Estate Manager
SEEPZ-SEZ Authority

ANNEXURE - A

TECHNICAL BID FORMAT

1. Name of the Firm:
2. Address with PIN Code:
3. Contact Nos. i.e. Mobile, Landline:
4. Email:
5. EMD of Rs. 25,000/-.
6. Copy of PAN & GST registration of the firm.
7. Copy of C&AG empanelment.
8. Copy of registration in ICAI.
9. Copy of Income Tax paid during last 3 years.
10. Overall experience of min. 10 years (attach proof)
11. The applicant must be a Chartered Accountant Firm (partnership) having min. 2 ***Chartered Accountant*** *employees* as on 31.07.2018.
12. Average turnover of the firm should not be less than 50.00 lakhs during financial years 2015-16, 2016-17 & 2017-18 (attach proof).
13. Experience of minimum 3 years' during last 10 years of Internal Audit in Central Government / Central Government Autonomous Body / Government of Maharashtra / Government of Maharashtra Autonomous Body. (attach proof)
14. Office must be in Mumbai. In this respect, copy of telephone bill, electricity bill, agreement copy; if any etc. should be submitted along with technical bid.
15. Affidavit duly notarized on Rs. 100/- non-judicial stamp paper to the effect that the *"firm/company has not been blacklisted nor come any adverse notice by any office of Central/State Govt./Semi-Govt./Public Sector Undertaking".*
16. An undertaking stating that the bidder shall not assign, transfer, pledge or sub contract the performance of services or part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the Tender documents.
17. Self declaration of Acceptance of Terms and Conditions duly singed by the bidder/firm(s) in token of having understood and agreed must be attached.

(Note - All the supportive documents need to be submitted duly certified and numbered sequentially with respective eligibility criteria)

We hereby certify that we are eligible for the above work and understood all the terms and conditions mentioned in the tender.

Signature of the Authorized signatory
Name:
Designation:
Name & Address of the firm:

ANNEXURE - B

FINANCIAL BID FORMAT

Category	Fees for 1 month (INR)	Fees for 12 months (INR)
Professional fee for Internal Audit in SEEPZ-SEZ Authority for the *F.Y. 2017-18*		
Professional fee for Internal Audit in SEEPZ-SEZ Authority for the *F.Y. 2018-19*		
Total Rs. (in figures & words)		

** Total fees quoted shall be inclusive of professional fees & out of pocket expenses. The authority shall not entertain any other claims over and above the fees specified in the financial proposal. No additional fees will be paid by the authority for time over run.*

**SEEPZ-SEZ Authority is exempted from payment of GST, hence no GST payment will be made.*

Signature of the Authorized signatory

Name:

Designation:

Name & Address of the firm: